नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982

(10.01.2022 तक संशोधित)

***का.आ.85(अ)** दिनांक 12 फरवरी 1982 - नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5वां) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय के विरुद्ध कोई बात न हो:-

(क) "अधिनियम" से नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 (1979 का 5वां) अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य नारियल विकास अधिकारी" से बोर्ड का मुख्य नारियल विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति अभिप्रेत है;

(घ) "नियम" से नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 अभिप्रेत है;

(ङ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ऐसे अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है; वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

अध्याय 2
बोर्ड की समितियाँ

3. समितियों की नियुक्ति:- (1) बोर्ड, ****[प्रत्येक दो वर्ष में],नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 9 में यथा उपबन्धित, निम्नलिखित समितियाँ और ऐसी अन्य समितियाँ नियुक्त कर सकता है जो बोर्ड अपनी ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, आवश्यक समझे जो उसे इन विनियमों के अधीन प्रत्यायोजित किया जाए, अर्थात्:-

(क) कार्यपालक समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति के मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होंगे;

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग - II, खण्ड 3- उप - खण्ड (ii) - सं.59 दिनांक 18.02.1982 के तहत प्रकाशित।

**सा.का.नि.479(ई) दिनांक 26.05.1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) - सं.271 दिनांक 19.01.2022 में प्रकाशित का.आ.277(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

(ii) उपाध्यक्ष;

(iii) **(#)** केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त किए गए हो;

******[(iv) वित्त सलाहकार या उपसचिव (वित्त), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय और दो अन्य सदस्य जो बोर्ड द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों जो उगाने वालों के प्रतिनिधि होंगे।]

(ख) अनुसंधान और विकास समिति, जिसमें निम्नलिखित, होंगे:-

(i) **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति के मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होंगे;

(ii) उपाध्यक्ष;

(iii) **(#)** नारियल उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करनेवाले बोर्ड के सभी छह सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (झ) के अधीन नियुक्त किए गए हो;

******(iv) बागवानी आयुक्त, भारत सरकार; पदेन;

(v) निदेशक, केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान; पदेन;

(vi) चार अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा ऐसे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं या ऐसी संस्थाओं से जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में नहीं है, सहयोजित किए जाएंगे परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(ग) प्रसंस्करण और विपणन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) **(#)**मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति के मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होंगे;

(ii) उपाध्यक्ष;

(iii) बोर्ड का सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) के अधीन नारियल प्रसंस्करण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(iv) अध्यक्ष, कयर बोर्ड; पदेन;

(v) चार सदस्य, जो बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे और जिनमें से दो उगाने वालों के प्रतिनिधि होंगे;

(vi) चार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड द्वारा (1) **(#)** भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, (3) केरल राज्य नारियल विकास निगम लिमिटेड और (4) भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किए जाएंगे, परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

******सा.का.नि.479(ई) दिनांक 26.05.1994 द्वारा प्रतिस्थापित

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) - सं.271 दिनांक 19.01.2022 में प्रकाशित का.आ.277(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

(घ) प्रचार समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगेः-

(i) **(#)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति के मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होंगे;

(ii) उपाध्यक्ष;

(iii) **(#)** चार सदस्य जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए हो;

(iv) **(#)** चार सदस्य जो बोर्ड द्वारा निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए गए हों और जिनमें से दो उगानेवालों का प्रतिनिधि होगा;

(v) चार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड द्वारा (1) **(#)** भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2) ऐसे संगठनों, जो कृषि संबंधी जानकारी में लगे हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित किए जाएंगे परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष, जो प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष है, बोर्ड के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों से समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी/अधिकारियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

4. समितियों के कृत्यः- (क) कार्यपालक समितिः- ऐसे निबंधनों और शर्तों के जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, कार्यपालक समिति प्रशासन, वित्त और अन्य मामलों से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(ख) अनुसंधान और विकास समितिः- ऐसे निबन्धनों और शर्तों के जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, अनुसंधान और विकास समिति, भारत में नारियल की खेती और नारियल की छोटी जोतों के विकास, जिनके अन्तर्गत नारियल संबंधी कृषि और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का संवर्धन भी है, से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(ग) प्रसंस्करण और विपणन समितिः- ऐसे निबन्धनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, प्रसंस्करण और विपणन समिति, नारियल और उसके उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन, उत्पाद विविधता और उपोत्पाद उपयोग, श्रेणीकरण, भंडारण और सहकारिता विकास से संबंधित बोर्ड के ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

(घ) प्रचार समितिः- ऐसे निबन्धनों और शर्तों के, जो बोर्ड अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, प्रचार समिति, नारियल उद्योग के सभी पहलुओं पर जानकारी के प्रकाशन और प्रसार से संबंधित बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड उसे समनुदिष्ट करे।

5. उपसमितिः- बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति अपने सदस्यों में से, किसी विनिर्दिष्ट विषय पर जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए या बोर्ड द्वारा उसे आबंटित कृत्यों के विस्तार के भीतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उपसमिति की नियुक्ति कर सकती है।

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) - सं.271 दिनांक 19.01.2022 में प्रकाशित का.आ.277(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

अध्याय 3
बोर्ड और उसकी समितियों के अधिवेशन की प्रक्रिया

6. बोर्ड का अधिवेशनः- बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन ऐसी तारीख पर और ऐसे स्थान पर जो अध्यक्ष उचित समझे, करेगा और किन्हीं दो सामान्य अधिवेशनों के बीच का अन्तराल, किसी भी दशा में, चार मास से अधिक नहीं होगा।

परन्तु बोर्ड, किसी विशिष्ट तिमाही में केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से अधिवेशन नहीं भी कर सकता है।

7. अधिवेशन बुलाने की शक्तिः- (1) अध्यक्ष किसी भी समय, बोर्ड या उसकी किसी समिति का अधिवेशन बुला सकता है और वह ऐसा तब करेगा जब, बोर्ड के अधिवेशन की दशा में, कम से कम आठ सदस्य, और समिति के अधिवेशन की दशा में कम से कम चार सदस्य, किसी अधिवेशन के लिए लिखित रूप में अध्यपेक्षा प्रस्तुत करें।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों से बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है किन्तु ऐसे अधिकारियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) बोर्ड के किसी अधिवेशन के कम से कम चौदह पूर्ण दिन पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन के कम से कम दस पूर्ण दिन पूर्व आशित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और यथास्थिति बोर्ड या समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर छोडी या भेजी जाएगी।

परन्तु अत्यावश्यकता की दशाओं में बोर्ड अथवा एक या अधिक समिति/समितियों का विशेष अधिवेशन किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा जो अग्रिम रूप में केन्द्रीय सरकार और सदस्यों को, विचार-विमर्श के लिए विषय वस्तु की और उन कारणों की जिन से वह ऐसा अत्यावश्यक अधिवेशन बुलाना चाहता है, सूचना देगा। ऐसे विशेष अधिवेशनों में किसी सामान्य कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(4) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार भी किसी समय बोर्ड का अधिवेशन बुला सकती है।

8. (#) गणपूर्तिः- (1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें संबंधित समिति को गठित करने वाली संख्या का कम से कम एक चौथाई उपस्थित न हों।

(2) यदि किसी समय किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम है तो अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति उस तारीख तक जो अधिवेशन की तारीख से सात दिन के पश्चात् की न हो, स्थगित कर देगा और स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सूचना समिति के सदस्यों को देगा और यदि ऐसे स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम है तो इस प्रकार उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी।

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) - सं.271 दिनांक 19.01.2022 में प्रकाशित का.आ.277(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।

9. समिति के अधिवेशनों से अनुपस्थितिः- समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य यदि अध्यक्ष की अनुमति के बिना तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो वह उस समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

10. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जानाः- (1) किसी समिति की सदस्यता में किसी आकस्मिक रिक्ति को समिति के अवशेष सदस्यों द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से भरा जाएगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त किया गया व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य यदि रिक्ति न हुई होती तो पद धारण करने का हकदार होता, जिसके स्थान को वह भरता है।

11. अधिवेशनों की अध्यक्षताः- अध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की और समितियों के उस अधिवेशन की जिसमें वह उपस्थित है अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

12. कार्यवृत्तः- (1) अध्यक्ष बोर्ड के या किसी समिति के सामान्य अधिवेशन के कम से कम दस दिन पूर्व उस अधिवेशन में संव्यवहार्य कारबार की एक सूची तैयार कराएगा और उसे केन्द्रीय सरकार तथा बोर्ड के या किसी ऐसी समिति के सदस्यों में परिचालित कराएगा।

13. परिचालन द्वारा कारबारः- (1) कोई कारबार जिसका बोर्ड या किसी समिति द्वारा संव्यवहार किया जाना है यदि बोर्ड या समिति का अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो ऐसे सदस्यों को (उन सदस्यों से भिन्न जो भारत से अनुपस्थित है) कागज़ातों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित और उन सदस्यों के बहुमत द्वारा जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचार अभिलिखित किए हैं अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकारी होगा मानों ऐसा प्रस्ताव या संकल्प किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

परन्तु तब जबकि यथास्थिति बोर्ड के कम से कम आठ सदस्यों ने या समिति के कम से कम चार सदस्यों ने उस प्रस्ताव या संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हों । परन्तु यह और कि जब कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तो यथास्थिति, बोर्ड के पाँच सदस्य या किसी समिति के तीन सदस्य, यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रस्ताव या संकल्प अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए और तदुपरि ऐसा निर्देश यथास्थिति, बोर्ड या किसी समिति के अधिवेशन में किया जाए।

(3) जब कोई कारबार, यथास्थिति, बोर्ड या किसी समिति के सदस्यों को परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तब सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम पन्द्रह पूर्ण दिनों की अवधि अनुज्ञात की जाएगी ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को कारबार की सूचना जारी की जाती है।

(4) यदि कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम बोर्ड या संबद्ध समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागज़ातों के परिचालन द्वारा प्राप्त सभी विनिश्चय या प्रश्न, अभिलेख के लिए यथास्थिति बोर्ड या समिति के अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।

14. कारबार का अभिलेखः- (1) सचिव, बोर्ड या समितियों द्वारा संव्यवहृत कारबार की सभी मदों का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(2) बोर्ड और किसी भी समिति की प्रत्येक बैठक में संव्यवहृत कारबार के अभिलेख पर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या, ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाला सदस्य हस्ताक्षर करेगा।

(3) जब किसी कारबार का संव्यवहार कागज़ातों के परिचालन द्वारा किया जाता है तब इस प्रकार संव्यवहृत कारबार के अभिलेख पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा।

15. **[मतदानः- बोर्ड या उसकी समितियों के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय, उस अधिवेशन में, जिसमें मामला लाया जाता है, उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। यथास्थिति, बोर्ड या समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे सदस्य केवल तभी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करेगा जब कि मत समान हो।]

(2) मतों के समान होने की दशा में, यथास्थिति बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे सदस्य का एक निर्णायक मत होगा।

16. पुनरीक्षणः- केन्द्रीय सरकार कारणों को लेखबद्ध करके, बोर्ड या उसकी समितियों के विनिश्चय का पुनरीक्षण कर सकती है और मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपविनियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति बोर्ड को भेजेगी।

(3) यथापूर्वोक्त आदेश की एक प्रति प्राप्त होने पर, बोर्ड उक्त आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन कर सकता है और केन्द्रीय सरकार अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उपविनियम (1) के अधीन पारित आदेश को या तो रद्द, उपांतरित या पुष्ट कर सकती है या उस मामले की बाबत ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकती है जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी राय में उचित या समीचीन हो।

अध्याय 4

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

17. वेतन, छुट्टी और भत्ते आदिः- बोर्ड के सभी कर्मचारियों के संबंध में वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, अन्य सेवा शर्तें तथा अन्य प्रसुविधाएं और रियायतें जैसे कि वेतन अग्रिम, वाहन के क्रय के लिए अग्रिम, गृहों के सन्निर्माण और वैसी ही अन्य ऐसे नियमों या विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी जो तत्समय केन्द्रीय सरकार के उन स्थानों पर स्थित तत्सम्बन्धी श्रेणियों या प्रस्थिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हों जब तक कि बोर्ड पृथक विनियम नहीं बना लेता।

18. (#) लोप किया।

(सं.एफ.14-14/81-सी.ए.-I)
[कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)]

******सा.का.नि.479(ई) दिनांक 26.05.1994 द्वारा प्रतिस्थापित

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) - सं.271 दिनांक 19.01.2022 में प्रकाशित का.आ.277(अ) दिनांक 10.01.2022 के अनुसार संशोधित।